

**प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर**  
**दिनांक 09.03.2026**

**दिनांक 02.03.2026 को थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पैगम्बरपुर बकरी में मिले युवती के हत्यायुक्त शव की घटना का थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुये घटना में सलिस अभियुक्ता सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 02.03.2026 को थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पैगम्बरपुर बकरी में बोधन कुम्हार के खेत में फरजाना पुत्री इमाम खाँ नि0 ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना पर थाना गाजीपुर पुलिस पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 103 (1)/238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. अफसार पुत्र इमाम खाँ निवासी ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 26 वर्ष, 02. अफसाना पत्नी इमाम खान निवासी ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 48 वर्ष को दिनांक 08.03.2026 को ग्राम टिकरी मोड नहर पुलिया बहदग्राम टिकरी थाना गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता को विधिक कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक 09.03.2026 को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-**

ग्राम टिकरी मोड नहर पुलिया बहदग्राम टिकरी थाना गाजीपुर, दिनांक 08.03.2026 व समय 16.25 बजे बजे

**गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता:-**

01. अफसार पुत्र इमाम खाँ निवासी ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 26 वर्ष ।
02. अफसाना पत्नी इमाम खान निवासी ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र 48 वर्ष ।

**महत्वपूर्ण तथ्य-**

1. दिनांक 02.03.2026 को थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पैगम्बरपुर बकरी में बोधन कुम्हार के खेत में फरजाना पुत्री इमाम खाँ नि0 ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना वादी श्री आशाराम (चौकीदार) पुत्र स्व0 सुखराम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम पैगम्बरपुर बकरी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर की तहरीर के आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 103 (1)/238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

2. अभियुक्ता अफसाना उपरोक्त मृतका की सगी मां है एवं अभियुक्त अफसार उपरोक्त मृतका का सगा भाई है।
3. दिनांक 01/02.03.2026 की रात्रि को मृतका फरजाना को माता अफसाना व भाई अफसार द्वारा अरहर के खेत में ले जाकर मृतका को जबरदस्ती सल्फास का पाउडर खिला कर हत्या कर देना व शव को चने के खेत में रख कर मां अफसाना फतेहपुर चली गयी व भाई घर पर चला गया था।
4. फरजाना के मरने की सूचना माता अफसाना द्वारा दिनांक 02.03.2026 को फतेहपुर से आकर थाने पर फौती सूचना दी गयी थी, फौती में शव का स्थान बोधन कुम्हार का खेत अंकित किया गया था।
5. उपरोक्त हत्या के सम्बन्ध में जब माता अफसाना व भाई अफसार को जब मुकदमा लिखवाने के लिये कहा गया तो उनके द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया कि हम इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
6. माता अफसाना व भाई अफसार के मो0नं0 के सीडीआर व लोकेशन का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि घटना की रात्रि में मां के द्वारा बेटे के मोबाइल पर कई बार बात की गयी है तथा बेटे के द्वारा भी अपनी मां से बात की गयी है।
7. अभियुक्ता अफसाना के मोबाइल के लोकेशन से पाया गया कि वह घटनास्थल से फतेहपुर चली गयी थी उसके द्वारा फतेहपुर से थाने आकर सूचना दी कि उसकी बेटी मर गयी है तथा शव किस जगह पर है वह भी जाकर दिखाया गया।
8. पूछ ताछ के क्रम में अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मृतका के प्रेम प्रसंग के कारण समाज में बदनामी के डर से फरजाना की हत्या की गई है।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्य श्री हनुमान प्रताप सिंह थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
1. उ0नि0 अरबिन्द कुमार मौर्या
2. म०उ०नि० ज्योति कौशिक
3. का0 अनिल कुमार यादव
4. का0 धीरेन्द्र सिंह
5. म०आ० पूनम

**मीडिया सेल**  
**जनपद फतेहपुर**